2811 बकुलाधरपुर

बेकुलाय ने बहस सुनाई बहस सुनी
आदेशका प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र
दिनांक 01/01/09 को वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस
किये पर आज्ञिप्त अभाव विपक्षी पार्टी 3.7.09 को
पार्टी की हाजिरी दिं 26.6.12 को पार्टीवार दिनांक
16/6/12 को वकील प्रार्थी एवं प्रार्थिया गैरहाजिर होने
पर प्रार्थिका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत हाजरी एवं अदायगी
से खारिज किया गया वकील प्रार्थी द्वारा 09 R 3 एवं 15
CPC का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को पुनः
नम्बर पर लेने की निवेदन किया वकील अभार्थी ने उक्त
पत्र का बहस सुनी गई का अवलोकन एवं मनन
करते कर न्यायालय का मत है कि प्रार्थिया कोई
आदेश नहीं है क्योंकि 15 वाद में अपील प्रार्थिया भी
पक्षकार है। डिक्री के बाद को पुनः नम्बर पर लिया
रखा है। प्रार्थना-पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित नहीं
होने के प्रार्थना पत्र 09 R 3 एवं CPC खारिज किया जाता है। मुकदमा
के कम क्रम पर दर्ज हो।

निर्णय तिथि

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official